

## -:: आदेश ::-

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 एवं संशोधन नियम 2017 के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 21.12.2020 10.03.2021 को आयोजित बैठक में अभिलेख अपूर्ण होने से कनिष्ठ सहायकों को पदोन्नति से डेफर किया गया था।

दिनांक 29.06.2021 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण के अनुसार पदोन्नति से डेफर कार्मिकों की कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति की अनुशांषा किये जाने पर निम्न कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पदोन्नति वर्ष व दिनांक से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	श्रेणी	चयन वर्ष व दिनांक	विशेष विवरण
1.	श्री कृष्ण कुमार	सामान्य	वर्ष 2017-18 दि. 01.04.2017	-
2.	श्री राजपाल सिंह	सामान्य	वर्ष 2017-18 दि. 01.04.2017	-
3.	श्री सुमेर सिंह रावत	सामान्य	वर्ष 2018-19 दि. 01.04.2018	-

उपरोक्तानुसार कार्मिक वर्तमान पदस्थापित स्थान पर पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण कर पदस्थापन होने तक यथावत् कार्य करते रहेंगे।

(ओपीओ बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ 1(7)(22)डीपीसी/सान्याअवि/2020/ पार्ट-III/ 8849-68 जयपुर, दिनांक : 16-07-2021  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता/विशेष योग्यजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक) को बेवसाईट पर संधारित किये जाने हेतु।
4. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, .....
5. प्रभारी, संस्थापन प्रशाखा (पी.-3), मुख्यावास को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संबंधित कार्मिक श्री/श्रीमती.....।
7. व्यक्तिगत पत्रावली श्री/श्रीमती .....
8. आदेश पत्रावली।

( )  
अतिरिक्त निदेशक(सतर्कता एवं प्रशासन)